संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 09/2020 - सी.एम.एस. **दिनांक : 29.07.2020**

(आवेदन भरने की अंतिम तारीख 18.08.2020)

सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020

(आयोग की वेबसाइट - https://upsc.gov.in/)

महत्वपूर्ण

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :

सभी उम्मीदवारों (पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर) से अनुरोध है कि वे सरकार (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) द्वारा अधिसूचित सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के नियमों और इन नियमों से जुड़े परीक्षा के नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: **अनंतिम** होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है।

उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही, आयोग मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है।

2. आवेदन कैसे करें :

2.1 उम्मीदवार **https://upsconline.nic.in** वेबसाइट का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए संक्षेप में अनुदेश परिशिष्ट-II (क) में दिए गए हैं, विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

2.2 जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं आयोग ने उनके लिए आवेदन वापस लेने की सुविधा का प्रावधान किया है। इस संबंध में अनुदेश परीक्षा नोटिस के परिशिष्ट II (ख) में प्रदान किए गए हैं।

2.3 इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उपलब्ध कराना होगा। **उम्मीदवारों को** फोटो आईडी की एक स्कैन की गई कॉपी अपलोड करनी होगी जिसका विवरण उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रदान किया गया है। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भ के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा/ व्यक्तित्व परीक्षण/ एसएसबी के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

3. आवेदन प्राप्त करने तथा वापस लेने की अंतिम तारीख :

3.1 ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र 18 अगस्त**, 2020 साँय 6.00 बजे** तक भरे जा सकते हैं।

3.2 ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25.08**.2020 से 31.08.2020 को सायं 6.00** बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। आवेदन वापस लेने संबंधी विस्तृत अनुदेश **परिशिष्ट-II (ख)** में प्रदान किए गए हैं।

4. परीक्षा आरंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व पात्र उम्मीदवारों को ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। ई-प्रवेश पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय सभी आवेदकों को वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करना अपेक्षित है क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।

5. गलत उत्तरों के लिये दंड :

अभ्यर्थी नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड **(नेगेटिव मार्किंग)** दिया जाएगा।

6. सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के दो वस्तुनिष्ठ पेपरों की लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित प्रणाली द्वारा आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर आधारित इस परीक्षा का डेमो मॉडयूल ई-प्रवेश पत्र जारी करते समय संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट https://upsc.gov.in/ पर उपलब्ध होगा।

7. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउंटर :

उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए कार्यदिवसों में 10.00 बजे और 5.00 बजे के मध्य तक आयोग परिसर के गेट 'सी' के पास संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं।

8. मोबाइल फोन प्रतिबंधित:

(क) किसी भी मोबाइल फोन (यहां तक कि स्विच ऑफ मोड में), पेजर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्रामेबल उपकरण या स्टोरेज मीडिया जैसे कि पेन ड्राइव, स्मार्ट घड़ियाँ आदि अथवा कैमरा या ब्लू टूथ उपकरण अथवा कोई अन्य उपकरण या उससे संबंधित सहायक सामग्री, चालू अथवा स्विच ऑफ मोड में जिसे परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के तौर पर उपयोग किया जा सकता है, का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित उन्हें भावी परीक्षाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

(ख) उम्मीदवारों को उनके अपने हित में मोबाइल फोन सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु अथवा मूल्यवान/महंगी वस्तु परीक्षा स्थल पर न जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि परीक्षा स्थल पर सामान की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। आयोग इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

उम्मीदवार केवल https://upsconline.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें।
किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है।

"सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

फा. सं. 14/1/2020 - प.1(ख) - संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नीचे पैरा 2 में दी गई सेवाओं तथा पदों पर भर्ती के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) द्वारा दिनांक **29 जुलाई, 2020** के भारत के राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार दिनांक **22 अक्टूबर, 2020** को एक सम्मिलित परीक्षा आयोजित की जाएगी।

परीक्षा केन्द्र : परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला	गंगटोक	पणजी (गोवा)
अहमदाबाद	हैदराबाद	पटना
आइज़ोल	इंफाल	पोर्ट ब्लेयर
प्रयागराज (इलाहाबाद)	ईटानगर	रायपुर
बंगलौर	जयपुर	रांची
बरेली	जम्मू	संबलपुर
भोपाल	जोरहाट	शिलांग
चंडीगढ़	कोच्चि	शिमला
चेन्नई	कोहिमा	श्रीनगर
कटक	कोलकाता	तिरुवनंतपुरम
देहरादून	लखनऊ	तिरुपति
दिल्ली	मदुरै	उदयपुर
धारवाड़	मुम्बई	विशाखापटनम
दिसपुर	नागपुर	

आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आबंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केन्द्रों के आबंटन पहले आवेदन करो, पहले आबंटन पाओ पर आधारित होगा तथा यदि किसी विशेष केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी आवेदन को कोई केन्द्र आबंटित नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को निर्धारित सीमा की वजह से अपनी पसंद का केन्द्र नहीं मिलता है तब उन्हें शेष केन्द्रों में से एक केन्द्र का चयन करना होगा। अतएव आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें जिससे उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र मिले।

ध्यान दें: उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद स्थिति के अनुसार आयोग के पास अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्र बेंचमार्क विकलांग छात्रों की परीक्षा की भी व्यवस्था करेंगे ।

2. (क) जिन सेवाओं/पदों पर भर्ती की जानी है तथा भरी जाने वाली रिक्तियों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है।

श्रेणी - I

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में कनिष्ठ वेतनमान पद - 182

श्रेणी - ।।

(i) रेलवे में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी - 300

(ii) भारतीय आयुध कारखाना स्वास्थ्य सेवा में सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद। - 66

(iii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी - 04

(iv) पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II । - 07

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020 में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चिन्हित सेवाओं/पदों का विवरण नीचे दिया गया है:-

(i) रेलवे में सहायक डिविजनल चिकित्सा अधिकारी के 12 पद चलने में असमर्थ अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से प्रभावित बेंचमार्क दिव्यांग उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं जो कार्यात्मक वर्गीकरण एक पैर प्रभावित (ओएल), एक हाथ प्रभावित (ओए) तथा दोनों पैर प्रभावित (बी एल) के अंतर्गत आते हैं।

(ii) भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा में सहायक चिकित्सा अधिकारी का 1 पद बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है जिनका कार्यात्मक वर्गीकरण ओएल है।

(iii) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कनिष्ठ समयमान पदों की 08 रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं अर्थात (अ) अंधता अथवा निम्न दृश्यता - 2 पद, (ब) बधिर अथवा जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है - 2, (स) चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास - 2 पद, (द) तथा (ई) आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग, अ से द के अधीन दिवयांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिवयांगता, जिसके अंतर्गत बधिर-अंधता है - 2 पद ।

(iv) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी का 1 पद बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति के लिए आरक्षित है जिनका कार्यात्मक वर्गीकरण चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है।।

(v) पूर्वी दिल्ली नगर निगम/उत्तरी दिल्ली नगर निगम/दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड- II द्वारा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई रिक्ति आरक्षित नहीं है

टिप्पणी - केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के सन्दर्भ में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहचान की गई रिक्तियों के बारे में उम्मीदवार परिशिष्ट III के भाग - ख सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020 के नियमों का अवलोकन करें जो कि **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं** ।
उपरोक्त रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सरकार द्वारा नियत की गई रिक्तियों के बारे में आरक्षण किया जाएगा।

किसी भी उम्मीदवार को समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ, उसकी जाति को केन्द्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा। उम्मीदवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण का लाभ लेने के लिए तभी पात्र माना जाएगा जब वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों का पालन करता हो तथा उसके पास इस प्रकार की पात्रता का प्रमाण पत्र हो। यदि कोई उम्मीदवार सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के अपने प्रपत्र में यह उल्लेख करता है कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन कालांतर में अपनी श्रेणी को आरक्षित सूची की श्रेणी में तब्दील करने के लिए आयोग को लिखता है, तो आयोग द्वारा ऐसे अनुरोध को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार द्वारा एक बार आरक्षण श्रेणी चुन लिए जाने पर अन्य आरक्षित श्रेणी में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध अर्थात् अ.जा. को अ.ज.जा., अ.ज.जा. को अ.जा., अ.पि.व. को अ.जा./ अ.ज.जा. या अ.जा./ अ.ज.जा. को अ.पि.व., अनुसूचित जाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा कर दिए जाने के उपरांत सामान्य मेरिट के आधार पर अनुशंसित उम्मीदवारों से भिन्न आरक्षित श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को उसकी आरक्षित श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन करने अथवा अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों (सेवा/ संवर्ग) के लिए दावा करने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, बेंचमार्क विकलांगता (PwBD) श्रेणी वाले व्यक्तियों के लिए भी इसी सिद्धांत का पालन किया जाएगा अर्थात् बेंचमार्क विकलांगता की एक उप-श्रेणी वाले उम्मीदवार (PwBD) को बेंचमार्क विकलांगता की दूसरी उप-श्रेणी में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जबकि उपर्युक्त सिद्धांत का सामान्य रूप से पालन किया जाएगा, फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें किसी समुदाय विशेष को आरक्षित समुदायों की किसी भी सूची में शामिल करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने और उम्मीदवार द्वारा आवेदन करने की तारीख के समय के बीच थोड़ा बहुत अंतर (अर्थात् 2-3 महीने) हुआ हो, ऐसे मामलों में, समुदाय को सामान्य से आरक्षित समुदाय में परिर्तित करने संबंधी अनुरोध पर आयोग द्वारा मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार के शारीरिक रूप से बेंचमार्क विकलांग होने के दुर्भाग्यपूर्ण मामले में उम्मीदवार को ऐसे मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख हो कि वह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत यथापरिभाषित 40% अथवा इससे अधिक विकलांगता से ग्रस्त है, ताकि उसे बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके। बशर्ते कि वह सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020 के नियम 19 के अनुसार सीएचएस, आईआरएचएस, आईओएफएचएस तथा एनडीएमसी और एसडीएमसी में जीडीएमओ के लिए अन्यथा पात्र हो।

"अजा, अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस/शावि/पूर्व सेनाकार्मिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे नियमावली/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/रियायत के हकदार हैं। उपर्युक्त लाभों/नोटिस से संबद्ध नियमावली में दिए गए अनुबंध के अनुसार उम्मीदवारों के पास अपने दावे के समर्थन में विहित प्रारूप में आवश्यक सभी प्रमाण पत्र मौजूद होने चाहिए तथा इन प्रमाण पत्रों पर आवेदन जमा करने की निर्धारित तारीख (अंतिम तारीख) से पहले की तारीख अंकित होनी चाहिए।"

सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020 के लिए आवेदन करने वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष 2019-2020 हेतु आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) कोई उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक सेवाओं/पदों के संबंध में परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। उम्मीदवारों को उचित समय पर सेवाओं/पदों के लिए अपना वरीयता क्रम बताना होगा।

यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक सेवाओं/पदों के लिए परीक्षा में प्रवेश पाना चाहता है तो भी उसे एक ही आवेदन प्रपत्र भरने की आवश्यकता है। नीचे पैरा 4 में उल्लिखित शुल्क भी उसे केवल एक ही बार देना होगा। उस प्रत्येक सेवा/पद के लिए अलग-अलग नहीं, जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है।

3. पात्रता की शर्तें :

(I) राष्ट्रीयता :

उम्मीदवार को या तो :-

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) ऐसा भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया, पूर्वी अफ्रीकी देशों से या जाम्बिया, मलावी, जैरे और इथियोपिया अथवा वियतनाम से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण पत्र होना चाहिए।

परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी, जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है, परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ही दिया जाएगा।

(II) आयु - सीमा :

(क) इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार ने **पहली अगस्त, 2020** को 32 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो अर्थात् उम्मीदवार का जन्म **2 अगस्त, 1988** के पहले का नहीं होना चाहिए। हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में जूनियर टाइम स्केल पदों के लिए उपर्युक्त कट-ऑफ की तारीख को अधिकतम आयु सीमा 35 (पैंतीस वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) ऊपरी आयु-सीमा में निम्न प्रकार से छूट प्राप्त है :

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित ऐसे उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक, जो ऐसे उम्मीदवारों पर लागू आरक्षण प्राप्त करने के हकदार हैं।

(iii) रक्षा सेवा के उन कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष तक जो किसी अन्य देश के साथ संघर्ष के अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान

विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।

(iv) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने **पहली अगस्त, 2020** को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (i) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं, (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल **पहली अगस्त, 2020** से एक वर्ष के अंदर पूरा होना है) या (ii) सैनिक सेवा में हुई शारीरिक अपंगता, या (iii) अक्षमता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(v) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामलों में अधिकतम 5 वर्षों तक जिन्होंने सैनिक सेवा के 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि **पहली अगस्त, 2020** तक पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाणपत्र जारी करना होता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा।

(vi) (अ) अंधता और निम्न दृश्यता, (ब) बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है (स) चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास (द) आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग (ई) विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार अ से द के अधीन दिवयांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिवयांगता, जिसके अंतर्गत बधिर-अंधता है, के मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक ।

टिप्पणी - 1 : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 3 (II)(ख) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात, जो भूतपूर्व सैनिकों, तथा (अ) अंधता और निम्न दृश्यता, (ब) बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है (स) चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास (द) आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग (ई) अ से द के अधीन दिवयांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिवयांगता आदि श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी - 2 : प्रत्येक सेवा हेतु प्रकार्यात्मक वर्गीकरण (एफसी) और शारीरिक अपेक्षाओं (पीआर) का ब्यौरा इस नोटिस के परिशिष्ट V में दिया गया है जो विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 और 34 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों (सीसीए) द्वारा निर्दिष्ट तथा निर्धारित किए गए हैं। विकलांग व्यक्ति श्रेणी के अंतर्गत केवल उसी/ उन्हीं विकलांगता(ओं) की श्रेणी (श्रेणियों) वाले उम्मीदवार परीक्षा हेतु आवेदन करेंगे जिनका उल्लेख परिशिष्ट-V में किया गया है। इसलिए, विकलांग श्रेणी वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हेतु आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ लें।

टिप्पणी - 3 : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व

सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुन: रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

टिप्पणी - 4 नियम 3 II (ख) (iv) तथा (v) के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को आयु संबंधी छूट स्वीकार्य होगी अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की सेना, नौसेना अथवा वायु सेना में कंबटेंट अथवा नॉन-कंबटेंट के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो या जो ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो या अवमुक्त हुआ हो या सेवा मुक्त हुआ हो; चाहे ऐसा वह अपने अनुरोध पर हुआ हो या पेंशन हेतु अर्हक सेवा पूरी करने के बाद नियोक्ता द्वारा अवमुक्त किया गया हो।"

टिप्पणी - 5 : उपर्युक्त नियम 3 (II)(ख) (vi) के अंतर्गत आयु में छूट के बावजूद बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियोंउम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियोंउम्मीदवारों को आबंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की, अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन, माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज हो। ये प्रमाण पत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के बाद प्रस्तुत करने हैं।

आयु के संबंध में अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथपत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुदेशों के इस भाग में आए हुए "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माधयमिक परीक्षा प्रमाण पत्र" वाक्यांश के अंतर्गत उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथि को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में (या बाद की किसी अन्य परीक्षा में) परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र के संबंधित कालम में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(III) शैक्षिक योग्यताएं :

उक्त परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार फाइनल एमबीबीएस परीक्षा के लिखित या प्रायोगिक भागों में उत्तीर्ण हो।

टिप्पणी-1 : वह उम्मीदवार भी आवेदन कर सकता है जिसने फाइनल एमबीबीएस परीक्षा दे दी है या जिनको अभी देनी है। यदि ऐसे उम्मीदवार अन्यथा पात्र हुए तो उन्हें उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा, परन्तु उनका प्रवेश अनंतिम रहेगा तथा फाइनल एमबीबीएस परीक्षा के लिखित तथा प्रायोगिक भागों को उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में रद्द कर दिया जाएगा। उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन प्रपत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, के साथ प्रस्तुत करना होगा। अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का ऐसा प्रमाण सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा के विस्तृत आवेदन फार्म-I भरे जाने की नियत तारीख (अंतिम तारीख) से पहले की तारीख का होना चाहिए।

टिप्पणी-2 : उक्त परीक्षा में प्रवेश के लिए वह उम्मीदवार भी शैक्षिक रूप से पात्र हैं जिसे अभी अनिवार्य रोटेटिंग इंटनिर्शप पूरी करनी है, किंतु चयन हो जाने पर उन्हें अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी करने के बाद ही नियुक्त किया जाएगा।

(IV) शारीरिक तथा चिकित्सा मानक:

उम्मीदवार को **सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020** के विनियम के परिशिष्ट-III में दिए शारीरिक/चिकित्सा मानकों के अनुरूप शारीरिक तथा चिकित्सा रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

4. शुल्क :

(क) उम्मीदवारों को **200/- रुपए (केवल दो सौ रुपए)** फीस के रूप में (सभी महिला/अ.जा./अ.ज.जा./ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर/रुपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

टिप्पणी - 1 : जो उम्मीदवार भुगतान के लिए नकद भुगतान प्रणाली का चयन करते हैं वे सिस्टम द्वारा सृजित (जनरेट) पे-इन-स्लिप को मुद्रित करें और अगले कार्य दिवस को ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं। **"नकद भुगतान प्रणाली"** का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले अर्थात् **17.08.2020 को रात्रि 23.59 बजे** निष्क्रिय हो जाएगा। तथापि, जो उम्मीदवार अपने पे-इन स्लिप का सृजन (जनरेशन) इसके निष्क्रिय होने से पहले कर लेते हैं, वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में काउंटर पर नकद भुगतान कर सकते हैं। वे उम्मीदवार जो वैध पे-इन स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके पास कोई अन्य ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा लेकिन वे अंतिम तिथि अर्थात **18.08.2020 को साँय 6.00 बजे** तक ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

टिप्पणी - 2 : उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है न स्वीकार्य है। अनिर्धारित माध्यम/शुल्क रहित आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त आवेदन को छोड़कर) एकदम अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

टिप्पणी - 3 : एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

टिप्पणी - 4 : जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए होंगे उन्हें

अवास्तविक भुगतान मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी जाएगी। आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से 10 दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। दस्तावेज के रूप में प्रमाण प्राप्त होने पर, शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों।

सभी महिला उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियोंवर्गों से संबद्ध उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। तथापि, अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क में छूट प्राप्त नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा।

बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियोंव्यक्तियों को शुल्क के भुगतान से छूट है बशर्ते कि वे इन सेवाओं/पदों के लिए चिकित्सा आरोग्यता (बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियोंव्यक्तियों को दी गई किसी अन्य विशेष छूट सहित) के मानकों के अनुसार इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु अन्यथा रूप से पात्र हों। शुल्क/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियोंव्यक्ति को अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ अपने बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियोंहोने के दावे के समर्थन में, सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

टिप्पणी : शुल्क/आयु सीमा में छूट के उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियोंउम्मीदवार को नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा जब वह (सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित ऐसी किसी शारीरिक जांच के बाद) सरकार द्वारा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियोंउम्मीदवार को आबंटित की जाने वाली संबंधित सेवाओं/पदों के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

ध्यान दें : जिन आवेदन-प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (शुल्क माफी के दावे को छोड़कर), उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

5. आवेदन कैसे करें :

(क) उम्मीदवार **https://upsconline.nic.in** वेबसाइट का प्रयोग कर **ऑनलाइन** आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

आवेदकों को केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है। तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि वह एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता/करती है, वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह अर्थात् आवेदक का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर, शुल्क आदि से पूर्ण है। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार यह नोट कर लें कि केवल उच्च आरआईडी (रजिस्ट्रेशन आईडी) वाले आवेदन पत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।

(ख) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन आयोग को सीधे ऑनलाइन करना चाहिए।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहें हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो सार्वजनिक उद्यमों में सेवा कर रहे हैं, उनको यह परिवचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा

कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है।

टिप्पणी-I : उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र का नाम भरते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र में दर्शाए गए केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी-II : अधूरे या गलत भरे आवेदन प्रपत्रों को एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा और किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट की प्रति आयोग को अभी भेजने की आवश्यकता नहीं है। **परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। आयोग ने जिस परीक्षा के लिए उन्हें प्रवेश दिया है उसके प्रत्येक स्तर, कंप्यूटर आधारित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण स्तर पर उनका प्रश पूर्णत: अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों। यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षण के पूर्व या बाद में सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे किसी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे उक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जिसके **नवम्बर/दिसम्बर, 2020** में घोषित किए जाने की संभावना है, घोषित होने के बाद आयोग को जल्दी प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियां तैयार रखें:

1. आयु का प्रमाण-पत्र।
2. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र।
3. जहां लागू हो, वहां अ.जा., अ.ज.जा., ईडब्ल्यूएस तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र।
4. जहां लागू हो, वहां आयु/शुल्क में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र।
5. जहां लागू हो, शारीरिक रूप से विकलांगता के समर्थन में प्रमाण-पत्र।

परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद आयोग सफल उम्मीदवारों से इलेक्ट्रानिक माध्यम से सूचित करेगा और उनसे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। उम्मीदवारों को साक्षात्कार पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे।

यदि उनके द्वारा किए गए दावे सही नहीं पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आयोग द्वारा सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020 की नियमावली के नियम 11 जो पुन: उद्धरित है, के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है :-

उम्मीदवार जिन्हें आयोग द्वारा निम्नलिखित के लिए दोषी ठहराया अथवा घोषित किया गया है : -

(i) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना,
अर्थात्: -

(क) अवैध परितोषण की पेशकश; या

(ख) दबाव डालना; या

(ग) परीक्षा के संचालन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना, या ब्लैकमेल करने की धमकी देना; या

(ii) प्रतिरूपण(इमपर्सोनेशन); या

(iii) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाया जाना; या

(iv) जाली दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है; या

(v) आवेदन पत्र में वास्तविक फोटो / हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना।

(vi) ऐसे विवरण देना जो गलत या झूठ हैं अथवा महत्वपूर्ण की सूचना को छिपा रहे हैं; या

(vii) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का सहारा लेना: -

(क) अनुचित साधनों के माध्यम से प्रश्न पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करना;

(ख) परीक्षा से संबंधित गुप्त कार्य से जुड़े व्यक्तियों के बारे में पता लगाना;

(ग) परीक्षकों को प्रभावित करना; या

(viii) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों को रखना या उनका उपयोग करना; या

(ix) उत्तर-पुस्तिकाओं में अश्लील सामग्री लिखना या अश्लील रेखाचित्र बनाना या असंगत सामग्री लिखना; या

(x) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करना, साथी परीक्षार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उत्पाद, उत्पाद मचाना और इस प्रकार की हरकत करना

(xi) आयोग द्वारा परीक्षा के संचालन के लिए लगाए गए कर्मचारियों को परेशान करना या शारीरिक नुकसान पहुँचाना; या

(xii) कोई भी मोबाइल फोन रखना या उसका उपयोग करना, (यहां तक कि स्विच ऑफ मोड में भी), पेजर या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा प्रोग्रामेबल डिवाइस या स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच आदि या कैमरा अथवा ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण अथवा परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के रूप में प्रयोग होने योग्य संबंधित सहायक उपकरण चाहे चालू या बंद हो; या

(xiii) उम्मीदवारों को उनके प्रवेश पत्र जो उन्हें परीक्षा देने की अनुमति देना है के साथ जारी किए गए किसी भी अनुदेश का उल्लंघन; या

(xiv) पूर्वगामी खंडों में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं कृत्यों के लिए आयोग को यथास्थिति उकसाने का प्रयास करने वाले ;

उम्मीदवार पर आपराधिक मामला चलाया जा सकता है तथा वह निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है : -

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाना जिसके लिए वह उम्मीदवार है ; और / या

(ख) स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जाना: -

(i) आयोग द्वारा उनके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा या चयन से;

(ii) केंद्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नौकरी से; तथा

(ग) यदि वह पहले से ही सरकार के अधीन सेवा में है तो उचित नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए:

परंतु यह भी कि निम्नलिखित के सिवाय इस नियम के तहत कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी: -

(i) उम्मीदवार को जैसा वह चाहता है, लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना । और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करना ।

कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उप नियम/खंड(i) से (xiii) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में कि किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उप नियम/खंड(xiv) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

6. आवेदन प्रपत्र भरने व वापस लेने की अंतिम तारीख:

(i) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र 18 अगस्त**, 2020 साँय 6.00 बजे** तक भरे जा सकते हैं ।

(ii) ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25.08.2020 **से 31.08.2020 को सायं 6.00** बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। आवेदन वापस लेने संबंधी विस्तृत अनुदेश **परिशिष्ट-II (ख)** में प्रदान किए गए हैं।

7. आयोग के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

(i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट https://upsc.gov.in/ पर उपलब्ध होगा, जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। **ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के पास उसके महत्वपूर्ण विवरण अर्थात् आर.आई.डी. तथा जन्म तिथि अथवा अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो) तथा जन्म तिथि अथवा नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि उपलब्ध होने चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए।** इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा

दूरभाष संख्या 011-23385271/011-23381125/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है।

यदि किसी उम्मीदवार से ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम दो सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

सामान्यत: किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम रहेगा। यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा।

केवल इस तथ्य का कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक मान ली गई है या कि उम्मीदवार द्वारा अपने परीक्षा के आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार के लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उनकी पात्रता की शर्तों का मूल प्रलेखों से सत्यापन का मामला उठाता है। आयोग द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिए जाने तक उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी।

उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार करने तथा उसकी पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि ई-प्रवेश पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(ii) उम्मीदवार को आयोग की वेबसाइट से एक से अधिक ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की स्थिति में परीक्षा देने के लिए, उनमें से केवल एक ही ई-प्रवेश पत्र का उपयोग करना चाहिए तथा अन्य की जानकारी आयोग को देनी चाहिए।

(iii) सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करें क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।

(iv) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए किउसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि आवश्यक होने पर उसको बदले हुए पते पर मिल जया करें। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में यह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

(v) यदि उम्मीदवार को किसी दूसरे उम्मीदवार से संबंधित ई-प्रवेश पत्र मिल जाए तो उसे आयोग को तुरंत सही ई-प्रवेश पत्र जारी करने के लिए निवेदन करना चाहिए। उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना

चाहिए कि उन्हें किसी दूसरे उम्मीदवार को जारी ई-प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

महत्वपूर्ण : आयोग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
2. रजिस्ट्रेशन आईडी (आरआईडी)
3. अनुक्रमांक यदि प्राप्त हो चुका हो।
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा स्पष्ट अक्षरों में)।
5. आवेदन प्रपत्र में दिया गया डाक का पता।
6. वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी।

विशेष ध्यान दें: (i) जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान न दिया जाए।

विशेष ध्यान दें: (ii) यदि किसी उम्मीदवार से कोई पत्र/संप्रेषण, परीक्षा हो चुकने के बाद, प्राप्त होता है तथा उसमें उसका पूरा नाम, अनुक्रमांक नहीं है तो इस पर ध्यान न देते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

विशेष ध्यान दें: (iii) उम्मीदवार को भविष्य के संदर्भों के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट या सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखने का परामर्श दिया जाता है।

8. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियो के लिए आरक्षण के लाभ लेने के लिए पात्रता वही होगी जो "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" में है ।इस बात के होते हुए भी, एकाधिक विकलांगताओं वाले उम्मीदवार केवल श्रेणी (ड.)- विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(।) की श्रेणी के (ड.) के तहत ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे तथा बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों की इनमें से किसी भी श्रेणी में 40% और इससे अधिक विकलांगता होने के कारण किसी भी अन्य विकलांगता श्रेणी अर्थात् विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(।) (क) से (घ) श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे।

बशर्ते, कि बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को शारीरिक अपेक्षाओं/कार्यात्मक वर्गीकरण (सक्षमताओं/अक्षमताओं) के संबंध में उन विशेष पात्रता मापदंड को पूरा करना भी अपेक्षित होगा जो इसके संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अभिज्ञात सेवा/पद के अपेक्षाओं की संगत हों । शारीरिक अपेक्षाओं तथा कार्यात्मक वर्गीकरण वाली सेवाओं की एक सूची परिशिष्ट - V पर है।

9. बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, आयोग उम्मीदवारों के प्राप्तांक (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त अंक) सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषित करेगा। अंकों की यह घोषणा केवल उन उम्मीदवारों के मामले में की जाएगी, जो सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा हेतु साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होंगे, परंतु जिन्हें नियुक्ति हेतु अंतिम रूप से अनुशंसित नहीं किया जाएगा। इस प्रकटन योजना के माध्यम से गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के बारे में साझा की गई जानकारी का इस्तेमाल, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा, सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई उक्त सूचना के आधार पर, उपयुक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए किया जा सकेगा।

उम्मीदवारों को, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के समय इस संबंध में अपना विकल्प प्रदान करना होगा। यह विकल्प उन्हें साक्षात्कार हेतु मेल किए गए ई-समन पत्र की पावती भेजते समय प्रदान करना होगा। उम्मीदवार, उक्त योजना में शामिल नहीं होने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसा करने पर आयोग द्वारा उनके अंकों संबंधी विवरण का प्रकटन सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाएगा।

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के बारे में जानकारी साझा करने के अतिरिक्त, इस विषय में आयोग की कोई जिम्मेदारी अथवा दायित्व नहीं होगा कि आयोग की परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं में शामिल उम्मीदवारों से संबंधित जानकारियों का इस्तेमाल, अन्य निजी अथवा सार्वजनिक संगठनों द्वारा किस विधि से तथा किस रूप में किया जाता है।

10. **आवेदनों की वापसी:** जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं आयोग ने उनके लिए आवेदन वापस लेने की सुविधा का प्रावधान किया है। इस संबंध में अनुदेश परीक्षा नोटिस के परिशिष्ट **II** (ख) में प्रदान किए गए हैं।

11. परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों को वैयक्तिक रूप से परीक्षा परिणाम किस प्रकार और किस रूप में सूचित किया जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं अपने विवेक से करेगा और परीक्षा परिणाम के संबंध में आयोग उनके साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

12. इस नोटिस के उपबंधों के अधीन सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति पर आयोग द्वारा उनकी योग्यता के क्रम से तैयार की गई सूची और उनके द्वारा अपने आवेदन प्रपत्रों में विभिन्न पदों के लिए बताई गई वरीयता के आधार पर विचार किया जाएगा।

13. परीक्षा में सफल होने मात्र से नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आवश्यक पूछताछ के बाद सरकार इस बात से संतुष्ट न हो कि उम्मीदवार अपने चरित्र और पूर्ववृत के आधार पर उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए यह भी एक शर्त होगी कि उसके अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी कर लेने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी संतुष्ट हों।

14. उम्मीदवार को मन और शरीर से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें ऐसी कोई शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए जो उक्त सेवा के अधिकारी के रूप में कार्य करने में बाधक सिद्ध हो सके। सरकारी या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा में जो उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है उसकी नियुक्ति नहीं होगी।

15. कोई भी व्यक्ति :

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध बना लेता है या इस संबंध में करार कर लेता है जिसका कोई पति या पत्नी जीवित है, या

(ख) पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से वैवाहिक संबंध बना लेता है या इस संबंध में कोई करार कर लेता है,

इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार का विवाह उस व्यक्ति और विवाह से संबद्ध दूसरे व्यक्ति पर लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के और भी आधार मौजूद हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

16. (क) परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम (ख) आवेदन प्रपत्र भरने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत, (ग) वस्तुपरक परीक्षाओं हेतु उम्मीदवारों को विशेष निर्देश, (घ) जिन सेवा के लिए भर्ती की जा रही है, उनका संक्षिप्त विवरण, के विषय में जानकारी क्रमश: परिशिष्ट - I, II, III व IV में दी गई है।

(ओम प्रकाश)
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I

परीक्षा की योजना

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी:-

भाग-I

कंप्यूटर आधारित परीक्षा - (500 अंक) :

आवेदकों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम 250 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र दो घंटों की अवधि का होगा ।

भाग-II

व्यक्तित्व परीक्षण: (100 अंक) :

जो उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनका **100 अंकों** का व्यक्तित्व परीक्षण होगा।

(क) कंप्यूटर आधारित परीक्षा :

1. दोनों प्रश्न पत्रों के घटक और पाठ्यक्रम तथा दोनों प्रश्न पत्रों में विभिन्न घटकों का वेटेज निम्नानुसार है :

प्रश्न पत्र-I **अधिकतम अंक : 250**

(कोड नं. 1)

सामान्य आयुर्विज्ञान एवं बालचिकित्सा

प्रश्न पत्र-I में कुल प्रश्न - 120 (96 सामान्य आयुर्विज्ञान तथा 24 बालचिकित्सा से)

प्रश्न पत्र - I का पाठ्यक्रम

(क) सामान्य आयुर्विज्ञान, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) हृदय रोग विज्ञान

(ii) श्वसन रोग

(iii) जठरांत्र

(iv) जनन - मूत्रीय

(v) तंत्रिका विज्ञान

(vi) रुधिर रोग विज्ञान

(vii) अंत: स्रावविज्ञान

(viii) उपापचयी विकार

(ix) संक्रमण/संचारी रोग

(क) वाइरस

(ख) रिकेट्स

(ग) बैक्टीरियल

(घ) स्पाइरोकेटल

(ङ) प्रोटोजोआ जनित

(च) मेटाजोआन जनित

(छ) फंगस

(x) पोषण/विकास

(xi) चर्म रोग (त्वचा रोग विज्ञान)

(xii) पेशी कंकाल तंत्र

(xiii) मनोरोग चिकित्सा

(xiv) सामान्य

(xv) आकस्मिक चिकित्सा (एमरजेंसी मेडिसिन)

(xvi) सामान्य विषाक्तन (कॉमन पॉयजनिंग)

(xvii) सर्पदंश

(xviii) ट्रॉपिकल मेडिसिन

(xix) क्रिटिकल केयर मेडिसिन

(xx) चिकित्सकीय पद्धतियों पर बल (एंफेसिस ऑन मेडिकल प्रोसीजर्स)

(xxi) रोगों का पैथो-फिजियोलोजिकल आधार

(xxii) टीकों के जरिए रोके जा सकने वाले रोग(वैक्सीन प्रीवेंटेबल डिजीजेस) तथा टीकों के जरिए न रोके जा सकने वाले रोग(नॉन- वैक्सीन प्रीवेंटेबल डिजीजेस)

(xxiii) विटामिन की कमी से होने वाले रोग

(xxiv) मनोरोगविज्ञान, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं- अवसाद(डिप्रेशन), मनोविकृति (साइकोसिस), दुश्चिंता (एंग्जाइटी), बाइपोलर रोग तथा मनोविदलता (स्किजोफ्रेनिया)

(ख) बालचिकित्सा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) शैशवकाल की सामान्य आकस्मिकताएं (कॉमन चाइल्डहुड एमरजेंसी),

(ii) नवजात शिशुओं की बुनियादी देखभाल(बेसिक न्यूबॉर्न केयर),

(iii) विकासक्रम के सामान्य चरण (नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स),

(iv) बच्चों के मामले में दुर्घटनाएं और विषाक्तन (एक्सीडेंट एंड पॉयजनिंग इन चिल्ड्रन),

(v) जन्मजात विकृतियां तथा काउंसलिंग, जिसमें ऑटिज्म शामिल है,

(vi) बच्चों का टीकाकरण,

(vii) विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और संबंधित प्रबंध व्यवस्था, तथा

(viii) शिशु स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम।

प्रश्न पत्र-II **अधिकतम अंक : 250**

(कोड नं. 2)

क) शल्य चिकित्सा

(ख) प्रसूति-विज्ञान तथा स्त्रीरोग-विज्ञान

(ग) निवारक तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान

प्रश्नपत्र-II में कुल प्रश्न = 120 (प्रत्येक भाग में से 40 प्रश्न)

प्रश्न पत्र-II का पाठ्यक्रम

(क) शल्य चिकित्सा

(शल्य चिकित्सा, जिसमें कान नाक गला, नेत्ररोग विज्ञान, अभिघात विज्ञान और अस्थिरोग विज्ञान शामिल हैं)

I. सामान्य शल्य चिकित्सा

(i) घाव

(ii) संक्रमण

(iii) अर्बुद(ट्यूमर)

(iv) लस वाहिका(लिंफैटिक)

(v) रक्त वाहिका

(vi) रसौली/शिरानाल

(vii) सिर और गर्दन

(viii) वक्ष

(ix) पोषण नाल

(क) ग्रासनली

(ख) उदर

(ग) आंत

(घ) मलद्वार

(ङ) विकासात्मक

(x) यकृत, पित्त, अग्न्याशय

(xi) तिल्ली (स्प्लीन)

(xii) पर्युदर्या (पेरिटोनियम)

(xiii) उदरीयभित्ति (एब्डोमिनल वॉल)

(xiv) उदरीय घाव (एब्डोमिनल इंजरी)

II मूत्ररोग शल्यचिकित्सा

III तंत्रिका शल्यचिकित्सा

IV कान-नाक-गला रोग विज्ञान

V वक्ष शल्य चिकित्सा

VI अस्थि रोग शल्य चिकित्सा

VII नेत्र रोग विज्ञान

VIII संवेदनाहरण विज्ञान

IX अभिघात विज्ञान (ट्रॉमैटोलॉजी)

X शल्य चिकित्सा संबंधी सामान्य रोगों का निदान और प्रबंधन (डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन सर्जिकल एलमेंट्स)

XI शल्य चिकित्सा वाले रोगियों की ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद देखभाल

XII शल्य चिकित्सा से जुड़े मेडिकोलीगल और नैतिक मुद्दे (मेडिकोलीगल एंड एथिकल इशूज ऑफ सर्जरी)

XIII घाव भरना (वूंड हीलिंग)

XIV सर्जरी में तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट प्रबंधन

XV सदमा रोगविज्ञान और प्रबंधन

(ख) प्रसूति-विज्ञान तथा स्त्रीरोग-विज्ञान

I. प्रसूति विज्ञान

(i) प्रसव-पूर्व अवस्थाएं

(ii) प्रसवकालीन अवस्थाएं

(iii) प्रसवोत्तर अवस्थाएं

(iv) सामान्य प्रसव या जटिल प्रसव का प्रबंधन

II. स्त्री रोग विज्ञान

(i) अनुप्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान संबंधी प्रश्न

(ii) रजोधर्म तथा गर्भाधान के अनुप्रयुक्त शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी प्रश्न

(iii) जननांग पथ में संक्रमण संबंधी प्रश्न

(iv) जननांग पथ में सूजन संबंधी प्रश्न

(v) गर्भाशय विस्थापन संबंधी प्रश्न

(vi) सामान्य प्रसव तथा सुरक्षित प्रसव प्रक्रिया

(vii) जोखिमपूर्ण गर्भावस्था तथा उसका प्रबंधन

(viii) गर्भपात

(ix) अंतर्गर्भाशयी वृद्धि में बाधा

(x) बलात्कार सहित प्रसूति एवं स्त्रीरोग में चिकित्सा विधिक जांच

III. परिवार नियोजन

(i) परम्परागत गर्भ-निरोधक

(ii) यू.डी. और खाने की गोलियां

(iii) शल्यक्रियाकार्यविधि, बंध्याकरणऔरशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन

(iv) चिकित्सीय गर्भपात

(ग) निवारक सामाजिक तथा सामुदायिक आयुर्विज्ञान

I सामाजिक तथा सामुदायिक आयुर्विज्ञान

II स्वास्थ्य, रोग और निवारक आयुर्विज्ञानकी संकल्पना

III स्वास्थ्य प्रबंधन तथा योजना

IV सामान्य जानपदिक-रोगविज्ञान

V जनांकिकी और स्वास्थ्य आंकड़े

VI संचारी रोग

VII पर्यावरणीय स्वास्थ्य

VIII पोषण तथा स्वास्थ्य

IX गैर-संचारी रोग

X व्यावसायिक स्वास्थ्य

XI आनुवंशिकी तथा स्वास्थ्य

XII अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य

XIII चिकित्सीय समाज-विज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा

XIV मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य

XV राष्ट्रीय कार्यक्रम

XVI सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का प्रबंधन

XVII राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी करने की क्षमता

XVIII मातृ एवं शिशु कल्याण की जानकारी

XIX कुपोषण तथा आकस्मिकताओं सहित सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने, अन्वेषण करने, रिपोर्ट करने, योजना बनाने और प्रबंधन करने की योग्यता

2. दोनों प्रश्न पत्रों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा पूर्णत: वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय उत्तरों सहित) स्वरूप की होगी । प्रश्न पत्र (टेस्ट बुकलेट) केवल अंग्रेजी में तैयार किए जाएंगे।

3。परीक्षा के सामान्य निर्देश

उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर अनिवार्यत: स्वयं मार्क करने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेत्रहीनता, चलने में असमर्थ (दोनों बाजुएं प्रभावित - बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को स्क्राइब सुविधा की मांग किए जाने पर उपलब्ध कराई जाएगी। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (द) के अंतर्गत यथापरिभाषित बेंचमार्क विकलांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को परिशिष्ट-VI पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, ऐसे उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(i) अपना स्क्राइब लाने या आयोग को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार को है। स्क्राइब का विवरण अर्थात अपना या आयोग का और यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाना चाहते हैं, तो तत्संबंधी विवरण ऑनलाइन आवेदन करते समय परिशिष्ट-VII के प्रपत्र में मांगा जाएगा।

(ii) स्वयं के अथवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।

(iii) नेत्रहीनता, चलने में असमर्थ (दोनों बाजुएं प्रभावित - बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। बेंचमार्क विकलांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को परिशिष्ट-VI पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

नोट (1) स्क्राइब की पात्रता शर्तें, परीक्षा हॉल के अंदर उसका आचरण और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (PwBD) की मदद करने संबंधी तरीका सभी कुछ, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों द्वारा शासित होगा। उक्त सभी या किसी अनुदेश का उल्लंघन होने पर आवश्यक रूप से PwBD उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । इसके अलावा, संघ लोक सेवा आयोग स्क्राइब के खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।

नोट (2) दृश्य अपंगता का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे :—

बेहतर आँख और बेहतर करना	खराब आँख उत्तम तरीके से ठीक करना	अपंगता प्रतिशत	विकलांगता श्रेणी
6/6 से 6/18	6/6 से 6/18	0%	0
	6/24 से 6/60	10%	0
	6/60 से 3/60 से कम	20%	I
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	30%	II (एक आँख वाला व्यक्ति)
6/24 से 6/60 अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर 20 डिग्री तक दृश्य क्षेत्र 40 से कम या मैक्युला सहित होमिनायापिआ	6/24 से 6/60	40%	III क (अल्प दृष्टि)
	6/60 से 3/60 से कम	50%	III ख (अल्प दृष्टि)
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	60%	III ग (अल्प दृष्टि)
6/60 से 3/60 से कम अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 20 से कम 10 डिग्री तक	6/60 से 3/60 से कम	70%	III घ (अल्प दृष्टि)
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	80%	III ड़ (अल्प दृष्टि)
3/60 से 1/60 तक से कम अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 10 डिग्री से कम	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	90%	IV क (दृष्टिहीनता)
केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	100%	IV ख (दृष्टिहीनता)

नोट (3) दृष्टिहीन उम्मीदवार को दी जाने वाली छूट निकट दृष्टिता से पीड़ित उम्मीदवारों को देय नहीं होगी ।

4. परीक्षा के किसी एक या दोनों प्रश्नपत्रों में अर्हक अंकों का निर्धारण करना आयोग का विवेकाधिकार है।

5. गलत उत्तरों के लिए दंड की व्यवस्था:

वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र में अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किए जाने पर दंडस्वरूप ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे।

(i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प हैं यदि एक प्रश्न का उत्तर अभ्यर्थी द्वारा गलत दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से **एक तिहाई** अंक दंड स्वरूप काट लिए जाएंगे।

(ii) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा चाहे दिया गया उत्तर ठीक ही क्यों न हो तथा उस प्रश्न के लिए भी दंड यथोपरि ही होगा।

(iii) यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी उसका कोई उत्तर नहीं देता है तो उस प्रश्न के लिए **दंड नहीं** दिया जाएगा।

6. वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों में उत्तर देने के लिए उम्मीदवारों को कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। अत: उनसे अपेक्षा है कि परीक्षा हॉल के अंदर कैलकुलेटर नहीं लाएं।

7. सीएमएसई के दोनों प्रश्न-पत्र एमबीबीएस स्तर के होंगे।

(ख) व्यक्तित्व परीक्षण-(100 अंक):

जो उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण 100 अंकों का होगा।

व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार को, उम्मीदवार के सामान्य ज्ञान तथा उनके अपने शैक्षिक क्षेत्र में उनकी योग्यता को आंकने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पूरक के रूप में माना जाएगा। इसके साथ-साथ व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत उम्मीदवार की बौद्धिक जिज्ञासा, समग्र समझ की क्षमता, संतुलित निर्णय करने की योग्यता, मानसिक सजगता, सामाजिक एकजुटता की योग्यता, चारित्रिक सत्यनिष्ठा, पहल करने की भावना और नेतृत्व सामर्थ्य का भी आकलन किया जाएगा।

****

परिशिष्ट-II(क)

ऑनलाइन आवेदन के लिए अनुदेश

उम्मीदवार को वेबसाइट **www.upsconline.nic.in** का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- ऑनलाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेन्यू के माध्यम से उपर्युक्त साइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा।
- उम्मीदवारों को 200/- रु. (केवल दो सौ रुपए) के शुल्क (अजा/अजजा/महिला/शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है) या तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करके या भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर/रुपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है।
- ऑनलाइन आवेदन भरना आरंभ करने से पहले उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर .जेपीजी प्रारूप में विधिवत रूप से इस प्रकार स्कैन करना है कि प्रत्येक 300 केबी से अधिक नहीं हो, लेकिन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के लिए आकार में 20 केबी से कम न हो ।

- इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उपलब्ध कराना होगा। **उम्मीदवारों को** फोटो आईडी की एक स्कैन की गई कॉपी अपलोड करनी होगी जिसका विवरण उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रदान किया गया है। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भ के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा/ व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।
- ऑनलाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को **दिनांक 29.07.2020 से 18.08.2020 साँय 6.00 बजे** तक भरा जा सकता है ।
- आवेदकों को एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भरने चाहिए, तथापि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश कोई आवेदक एक से अधिक आवेदन पत्र भरता है तो वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह से पूर्ण है।
- एक से अधिक आवेदन पत्रों के मामले में, आयोग द्वारा उच्च आरआईडी वाले आवेदन पत्र पर ही विचार किया जाएगा और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।
- **आवेदक अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय यह सुनिश्चित करें कि वे अपना वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।**
- **आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-मेल लगातार देखते रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि @nic.in से समाप्त होने वाले ई-मेल पते उनके इनबॉक्स फोल्डर की ओर निर्देशित हैं तथा उनके एसपीएएम (SPAM) फोल्डर या अन्य किसी फोल्डर की ओर नहीं।**
- उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। **इसके अतिरिक्त, आयोग ने आवेदन वापस लेने का प्रावधान किया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने के इच्छुक नहीं है वे अपना आवेदन वापस ले सकते हैं।**

परिशिष्ट- II (ख)

आवेदन वापस लेने संबंधी महत्वपूर्ण अनुदेश

1. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन वापस लेने संबंधी अनुरोध पत्र भरने से पहले अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
2. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने के इच्छुक नहीं है उनके लिए आयोग ने **दिनांक 25.08.2020 से 31.08.2020 (सायं 6.00 बजे तक)** आवदेन वापस लेने की सुविधा का प्रावधान किया है।
3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पूर्ण और अंतिम रूप से सब्मिट किए गए आवदेन का पंजीकरण आईडी और विवरण प्रदान करें। अपूर्ण आवेदनों को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।
4. आवेदन वापसी का अनुरोध प्रस्तुत करने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि उनके पास वह पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी उपलब्ध है, जो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय प्रदान किया था। अनुरोध तभी स्वीकार किया जाएगा जब उम्मीदवार के मोबाइल और ई-मेल पर भेजे

गए ओटीपी को वैलीडेट किया जाएगा। यह ओटीपी 30 मिनट के लिए मान्य होगा।

5. **आवेदन वापसी के संबंध में ओटीपी जनरेट करने का अनुरोध दिनांक 31.08.2020 को सायं 5.30 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा।**
6. यदि किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए हैं तब आवेदन (सबसे बाद वाले) के उच्चतर पंजीकरण आईडी पर ही वापसी संबंधी विचार किया जाएगा और पहले के सभी आवेदनों को स्वत: ही खारिज मान लिया जाएगा।
7. आवेदन वापसी के ऑनलाइन अनुरोध को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाने के बाद आवेदक अधिप्रमाणित रसीद प्रिंट करेगा। उम्मीदवार द्‌वारा आवेदन वापस लिए जाने के बाद भविष्य में इसे पुन: सक्रिय नहीं किया जा सकेगा।
8. संघ लोक सेवा आयोग में उम्मीदवार द्‌वारा अदा किए गए परीक्षा शुल्क को लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। अत:, उम्मीदवार द्‌वारा सफलतापूर्वक आवेदन वापस लिए जाने के बाद ऐसे मामलों में शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।
9. वापसी संबंधी आवेदन के पूरा होने के बाद उम्मीदवार के पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल पर ऑटो-जनरेटेड ई-मेल और एसएमएस भेजा जाएगा। यदि उम्मीदवार ने आवेदन वापसी संबंधी आवेदन जमा नहीं किया है तब वह ई-मेल आईडी : upscoap@nic.in के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क कर सकता है।
10. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त ओटीपी किसी से साझा न करें।

परिशिष्ट-III

वस्तुपरक परीक्षणों के संबंध में उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश

परीक्षण लैब के नियम

- परीक्षण के दौरान किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण लैब से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- किसी भी उम्मीदवार को निरीक्षक की अनुमति के बिना अपनी सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

किस सामान की अनुमति है तथा किसकी नहीं है

- जिस परिसर में परीक्षा आयोजित की जा रही है वहां इलेक्ट्रानिक या अन्य किस्म का कैलकुलेटर, लॉग टेबल, स्लाइड रूल, सेल्युलर/मोबाइल फोन/ब्लूटूथ अथवा ऐसे किसी अन्य उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी जिनका इस्तेमाल संचार उपकरण के रूप में किया जा सकता है। उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है जिसमें भविष्य के परीक्षणों से प्रतिबंध शामिल है।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कीमती/मूल्यवान सामान परीक्षण लैब में न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में हुए नुकसान के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

परीक्षण के दौरान अनुदेश

- परीक्षण की अवधि 120 मिनट अर्थात् 2 घंटे है।
- उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित करें कि वे ई-प्रवेश पत्र में परीक्षा के लिए यथानिर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा स्थल पर पहुंच जाएं। ऐसा नहीं करने पर उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- पासवर्ड की घोषणा परीक्षण आरंभ होने के 10 मिनट पूर्व की जाएगी। उम्मीदवार सुरक्षित ब्राउजर खोलेंगे और 10 मिनट तक अनुदेश पढ़ेंगे। तथापि, उम्मीदवारों को निर्धारित समय से पहले अपनी परीक्षा आरंभ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी भले ही वे अनुदेशों को समय से पहले क्यों न पढ़ लें क्योंकि समय का सामंजस्य सर्वर के साथ स्थापित किया गया है। उम्मीदवार को परीक्षण के लॉग-इन पृष्ठ पर यूजर आईडी के रूप में अपना अनुक्रमांक तथा निरीक्षक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार लॉग-इन पृष्ठ पर पासवर्ड एंटर करना होगा।
- मांग करने पर कच्चे कार्य के लिए उम्मीदवारों को कागज मुहैया कराया जाएगा।
- परीक्षण में व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में, उम्मीदवार तत्काल इसकी सूचना निरीक्षक को प्रदान करें। निरीक्षक, परीक्षण में रीलॉग-इन करने में उम्मीदवार की मदद करेंगे। इससे परीक्षण वहां से पुन: प्रारंभ हो जाएगी जहां पर रूक गई थी।
- सभी प्रश्नों की संख्यात्मक सूची स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित होगी।
- परीक्षण के दौरान “शेष समय” पर ध्यान दें।
- एक बार उत्तर दिए जाने के उपरांत वह अंतिम होगा। तथापि, परीक्षण के दौरान अंतिम रूप से जमा (फाइनल सबमिशन) किए जाने से पहले कभी भी उत्तर में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें ‘डिसेलेक्ट’ बटन के माध्यम से प्रश्न को अनअटेंप्ट (उत्तर नहीं देना) करना भी शामिल है।
- इस परीक्षण में ऋणात्मक अंकन भी शामिल है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 अंकों की कटौती की जाएगी।
- परीक्षण आरंभ होने के दो घंटों के बीत जाने के पश्चात् ‘सब्मिट’ बटन स्वत: सक्रिय हो जाएगा।
- परीक्षण का समय समाप्त हो जाने के उपरांत आपको उत्तर देने से स्वत: टॉक किया जाएगा और परीक्षण ऑटो-सबमिट (स्वत: जमा) हो जाएगा।
- उम्मीदवार परीक्षण स्थल पर किसी प्रकार की पुस्तकें, कागज, मोबाइल फोन/ब्लूटूथ उपकरण अथवा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान न लाएं। संघ लोक सेवा आयोग ऐसे सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
- प्रतिरूपधारण (धोखेबाजी के उद्देश्य से किसी और की पहचान अपनाना) तथा नकल लेखन कृतियों का उपयोग (मूल्यांकन के लिए अन्य लोगों की कृतियों का प्रयोग तथा उन्हें जमा करना मानो वे कृतियां आपकी अपनी हों) वर्जित है।
- उम्मीदवार किसी भी कारण से अन्य उम्मीदवारों से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। ऐसी बातचीत को परीक्षण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा ।

- परीक्षण स्थल पर यदि किसी उम्मीदवार के पास अनधिकृत सामग्री पाई जाती है तो उसे परीक्षण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षण नियमों का उल्लंघन करता है तो यह माना जाएगा कि उसने अनुचित माध्यम का प्रयोग किया है। यदि कोई उम्मीदवार अनुचित माध्यम अपनाता है तो उसे इस परीक्षण तथा संघ लोक सेवा आयोग की भावी परीक्षाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा और/या उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- परीक्षण पूरा होने के उपरांत उम्मीदवार अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे और तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक परीक्षण समय पूरी तरह से बीत नहीं जाता है।
- किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण के लिए आबंटित समय पूरा होने से पहले परीक्षण लैब से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण के अंतिम 30 मिनट के दौरान शौचालय जाने की अनुमति नहीं होगी।
- उम्मीदवार सभी अनुदेशों तथा परीक्षण के पर्यवेक्षक/निरीक्षक द्वारा दिए जाने वाले अन्य ऐसे अनुदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार उपर्युक्त अनुदेशों का पालन नहीं करता है अथवा अव्यवस्था उत्पन्न करता है अथवा अनुचित आचरण करता है तब उसे परीक्षण से निष्कासित किया जा सकता है तथा/अथवा आयोग अपने विवेकानुसार कोई अन्य उपयुक्त दंड दे सकता है।
- उम्मीदवार, परीक्षण लैब में निरीक्षक/सहायक पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक/अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर यथापेक्षित आवश्यक तथा सही सूचना प्रस्तुत करेगा।

परिशिष्ट- IV

सेवाओं के संक्षिप्त विवरण

इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है, उनके संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं।

1. रेलवे में सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी

(क) भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के अंतर्गत सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी (एडीएमओ) का पद समूह “क” के कनिष्ठ वेतनमान में वेतन मेट्रिक्स के स्तर - 10 (संशोधन पूर्व पीबी-3 5400/- रु के ग्रेड वेतन सहित 15,600-39100/- रु) में है और इस पद पर समय-समय पर लागू नियमों/आदेशों के अनुसार गैर-प्रैक्टिस भत्ता (एनपीए) देय होता है। निजी प्रैक्टिस प्रतिबंधित है। उम्मीदवार, रेल मंत्रालय अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, निजी प्रैक्टिस को सीमित अथवा प्रतिबंधित करने के संबंध में जारी सभी आदेशों को मानने के लिए बाध्य होगा।

(ख) उम्मीदवार को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा जिसे सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर उम्मीदवार भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में पुष्टि हेतु पात्र हो जाएंगे।

(ग) परिवीक्षा की अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय रेल स्थापना कोड, खंड - I के नियम (3)301की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष की ओर से एक महीने का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। किंतु इस प्रकार के नोटिस की आवश्यकता संविधान

के अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई के कारण सेवा से (2)के खंड 311 ता के कारण की जाने वाली गी या सेवा से हटाए जाने या मानसिक अथवा शारीरिक अशक्तबर्खास्त लों मे नहीं होगी।अनिवार्य सेवानिवृति के माम

(घ) उम्मीदवार को रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और सभी विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ेगा।

(ङ) उम्मीदवारसे लागू सरकार के आदेशानुसार अंशदायी पेंशन पद्धति द्वारा नियंत्रित होगा। 2004-1-1

(च) उम्मीदवार उन्हीं के स्तर के अन्य अधिकारियों पर समयसमय पर लागू छुट्टी के- नियमों के अनुसार छुट्टी के हकदार होंगे।

(छ) उम्मीदवार समयसमय पर प्रवर्तित नियमों के अनुसार सारणी- नि रेलवे पास और विशेष शुल्क: टिकट आदेशों का अधिकारी होगा।

(ज) उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि के दौरान अनुमोदित स्तर की हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और यदि वह परीक्षा पास नहीं करता है तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

(झ) नियमानुसार, उपयुक्त पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को अपेक्षित होने पर किसी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए काम करना पड़ सकता है जिसमें कि प्रशिक्षण पर, व्यतीत अवधि शामिल है:

परन्तु उस व्यक्ति को:-

(क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(ख) सामान्यत: 45 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(ञ) जो बातें ऊपर विनिर्दिष्ट रूप से कही गई हैं, उनमें और अन्य मामलों में उम्मीदवार भारतीय रेल स्थापना संहिता और समयपरिवर्तित नियमों के अधीन कार्य करेगा।/समय पर परिशोधित-

(ट) शुरुआत में उम्मीदवार प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। इसे पूरा कर लेने के उपरांत उसे विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों/औषधालयों में भी तैनात किया जा सकता है। एडीएमओ को किसी अन्य रेलवे में भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

(ठ) " उच्चतर ग्रेडों से संबद्ध वेतनमान तथा भत्तों सहित पदोन्नति की संभावनाएं रेलवे चिकित्सा सेवा भर्ती नियमावली,तथा रेल मंत्रालय द्वारा स 2000 मयसमय पर जारी आदेशों तथा अनुदेशों के - प्रावधानों के अनुसार होगी।"

(ड) कर्तव्य और दायित्व।

सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी :

(1) वह प्रतिदिन और आवश्यक होने पर भीतरी वार्डों और बाहरी चिकित्सा विभाग का काम देखेगा**।**

(2) वह लागू विनियमों के अनुसार उम्मीदवार और सेवारत कर्मचारियों की शारीरिक परीक्षा करेगा।

(3) वह अपने अधिकार क्षेत्र में परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता का काम देखेगा।

(4) वह सामान विक्रेताओं की जांच करेगा।

(5) वह अस्पताल के हेल्थ यूनिट कर्मचारियों में अनुशासन और कर्तव्य पालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) वह अपनी विशेषज्ञता से संबद्ध कार्य, यदि कोई हो, करेगा और अपनी विशेषज्ञता से संबंधित विवरणियां और मांग-पत्र तैयार करेगा।

(7) वह सभी उपस्करों का रख-रखाव और देखभाल अपने प्रभार में रखेगा।

टिप्पणी 1 : जब सहा.प्र.चि.अ. किसी प्रभाग के मुख्यालय में सीएमएस/अतिरिक्त सीएमएस/एमएस इंचार्ज के प्रभार के अधीन नियुक्त किया जाता है तो वह सीएमएस/अतिरिक्त सीएमएस/एमएस इंचार्ज के सभी कर्तव्यों में उसे सहायता देगा किंतु विशेष रूप से उसको कुछ कार्य और दायित्व भी सौंपे जा सकते हैं।

टिप्पणी 2: सहा. प्र.चि.अ. को समय-समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्य भी निभाने होंगे।

II. रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय आयुध कारखाना स्वास्थ्य सेवा में सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद :-

(i) समूह 'क' के पद अस्थायी हैं लेकिन यथासमय नियमित किए जाने की संभावना है।

(ii) वेतन मेट्रिक्स का वेतन स्तर-10 तथा एनपीए (नियमानुसार लागू तथा समय-समय पर यथासंशोधित दर पर)।

(iii) भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा नियमावली के प्रावधानों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के अवसर मौजूद हैं।

(iv) उम्मीदवार को देश के अवस्थित किसी भी आयुध निर्माणी के अस्पताल अथवा औषधालय में तैनात किया जा सकता है। वर्तमान में ये निम्नलिखित स्थानों में अवस्थित हैं: आंध्र प्रदेश-येदुमाइलारम, बिहार-नालंदा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश-जबलपुर, इटारसी, कटनी, महाराष्ट्र–अंबरनाथ, पुणे, नागपुर, भंडारा, भुसावल, चंदरपुर, देहूरोड, वरणगांव, उत्तर प्रदेश- कानपुर, मुरादनगर, शाहजहांपुर, हजरतपुर, कोरवा, तामिलनाडु-चेन्नई, तिरूचिरापल्ली ,अरुवन काडु, पश्चिम बंगाल-कोलकाता, उत्तरांचल-देहरादून, उड़ीसा-बोलंगीर।

(v) उम्मीदवारों की नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधी के लिए परिवीक्षा पर रहना होना जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवकानुसार घटाया अथवा बदाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधी को संतोषप्रद तरीके से पूरा करने पर उम्मीदवार नियमित रिक्ति पर स्थायी होने तक अस्थायी पद पर बना रहेगा ।

(vi) नियुक्ति परिवीक्षा आधी के दौरान किसी भी पक्ष के द्वारा एक महीने के नोटिस अथवा उसके बाद अस्थायी रूप से तैनाती के दौरान समाप्त की जा सकती है। नोटिस के बदले एक महीने के वेतन के अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है।

(vii) किसी भी किस्म की प्राइवेट प्रैक्टिस वर्जित है।

(viii) ड्यूटी का प्रकार।

(कक) आपात स्थिति में बाहर और भीतर के मरीजों की चिकित्सीय सेवा।

(कख) चिकित्सा परीक्षण।

(कग) व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।

(कघ) उनके प्रभाव के अंतर्गत विभाग का सामान्य प्रबंधन-योजना, संगठन तथा कार्य का पर्यवेक्षण, गुणवत्ता आश्वासन, स्टाफ पर नियंत्रण, अनुशासन, प्रशिक्षण और कल्याण, कर्त्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित करना, भंडार प्रबंधन, उचित दस्तावेजीकरण, रिकार्डों और आंकडों का रख-रखाव, उचित हाउस कीपिंग तथा सुरक्षा सुनिश्चित करना, सुविधाओं उपकरणों और यंत्रों का रख-राखाव, संक्रमण नियंत्रण तथा जैव अपशिष्ट का निपटान सुनिश्चित करना।

(कड.) चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा उन्हें सौपे गए अन्य कोई कार्य।

III. केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन कनिष्ठ वेतनमान के पद

(क) पद अस्थायी हैं किंतु अनिश्चितकाल तक चल सकते हैं। उम्मीदवारों को कनिष्ठ ग्रुप 'क' वेतनमान में नियुक्त किया जाएगा और नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वे परिवीक्षा के अधीन रहेंगे। वह अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेक से घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परिवीक्षा की अवधि की संतोषजनक समाप्ति के बाद उनको स्थायी बनाया जायेगा।

(ख) उम्मीदवारों को, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल होने वाले देशभर के किसी भी संगठन के अंतर्गत किसी भी औषधालय अथवा अस्पताल में भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। हर प्रकार की निजी सेवा (प्रैक्टिस), जिसमें प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता के रूप में की जाने वाली सेवा भी शामिल है, पर प्रतिबंध है।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) के चिकित्सा अधिकारी को वेतन मेट्रिक्स के स्तर-10 (56,100 से 1,77,500/-रु.) का वेतनमान तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशानुसार एनपीए देय होगा और पदोन्नति के अवसर, उन्हें, सीएचएस नियमावली, 2014 के तहत किए गए प्रावधानों, और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों तथा अनुदेशों के अनुसार प्राप्त होंगे।

IV. **नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में** सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी

(क) वेतन मेट्रिक्स का स्तर-10 (56,100-1,77,500/-रु.)+ सीमित गैर-प्रैक्टिस भत्ता (एनपीए)।

(ख) समय-समय पर परिषद में लागू किए गए पेंशन, उपदान, स्थायीकरण आदि से संबधित साधारण नियम लागू होंगे।

(ग) उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर बढ़ाया जा सकेगा । परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर वे स्थायी रिक्ति के पुष्टि होने तक अस्थायी हैसियत से कार्य करते रहेंगे ।

(घ) उम्मीदवार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के क्षेत्राधिकार के अधीन किसी भी अस्पताल/औषधालय/एम॰ एवं सी॰ तथा परिवार कल्याण केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

(ड) किसी भी प्रकार की निजी प्रेक्टिस जो कुछ भी हो, प्रतिबंधित है।

(च) परिवीक्षा अवधि तथा उसके बाद की अवधि के दोरान जब आप अस्थाई हेसियत से कार्यरत हों दोनों में से किसी पक्ष की एक महीने की सूचना नोटिस पर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद सूचना (नोटिस) के बदले में एक महीने के वेतन का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(छ) जीडीएमओ, वेतन मेट्रिक्स स्तर-11 (67700-208700/-रु.) के अंतर्गत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद से वेतन मेट्रिक्स स्तर-12 (78800- 209200/-रु.) के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से वेतन मेट्रिक्स स्तर-13 (118500-214100/-रु.) के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) के पद पर तथा वेतन मेट्रिक्स स्तर-14 (144200-218200/-रु.) के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे।

V) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम तथा दक्षिण दिल्ली नगर निगम में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड II:-**

(1) वेतन, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स के स्तर-10 में प्रथम सेल का न्यूनतम 56,100 रु. (संशोधन-पूर्व पीबी-3, 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन 5400/- रु के समतुल्य) तथा एनपीए और नियमानुसार देय अन्य भत्ते।

(2) उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा। यह अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परिवीक्षाधीन अवधि के संतोषजनक समापन पर वह तब तक अस्थायी पर रहेगा जब तक स्थायी रिक्ति पर स्थायी नहीं किया जाता है।

(3) उम्मीदवार की नियुक्ति पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम तथा दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी किसी अस्पतालसरीडिस्पैं/, मातृ और शिशु कल्याण तथा परिवार कल्याण केंद्र केंद्र आदि में की जा सकती है ।स्थ्यप्राथमिक स्वा/

(4) किसी भी प्रकार निजी प्रैक्टिस करना मना है।

(5) परिवीक्षा तथा उसके बाद अस्थायी हैसियत से नियोजन अवधि के दौरान किसी भी तरफ से एक महीने का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। दिल्ली नगर निगम को नोटिस के बदले एक महीने का वेतन देने का अधिकार है। उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की संभावनाएं जिनमें वेतनमान तथा भत्ते सम्मिलित हैं, भर्ती विनियमों के उपबंधों के अनुसार होंगे।

कार्यात्मक वर्गीकरण और वास्तविक आवश्यकताओं के साथ बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित उपयुक्त सेवाओं की एक सूची

क्र.सं.	सेवा का नाम	श्रेणी (यों) जिसके लिएनिर्धारित की गई	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारिरिक अपेक्षाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भारतीय रेल चिकित्सा सेवा (आई आर एम एस) में सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी (ए डी एम ओ)	लोकोमोटर विकलांगता	(i)ओए-एक हाथ प्रभावित, (ii)ओएल-एक पैर प्रभावित, और (iii)बीएल-दोनो पैर प्रभावित परंतु हाथ नहीं।	एस, एसटी, बीएन, डबल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडबल्यू, एच
एस=सीटिंग, एसटी=स्टैंडिंग, बीएन=बैंडिंग, डबल्यू=वॉकिंग, एसई=सीईंग, एमएफ=मैनुपुलेशन बाई फिंगर्स, सी=कम्यूनिकेशन, आरडबल्यू=रीडिंग एण्ड राईटिंग, एच=हियरिंग.				
2.	भारतीय आयुध कारखाना स्वास्थ्य सेवा में सहायक चिकित्सा अधिकारी	लोकोमोटर विकलांगता	ओएल-एक पैर प्रभावित	सीटिंग, रीडिंग एण्ड राईटिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग, बेंडिंग, मैनुपुलेशन बाई फिंगर्स, सीईंग,, हियरिंग. कम्यूनिकेशन
3.	केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में कनिष्ठ वेतनमान पद	दृष्टिहीनता या अल्प दृष्टि	40% से अधिक अशक्तता की सीमा में दृष्टि तीक्ष्णता अशक्तता वाले उम्मीदवार पात्र हैं, बशर्ते कि दृष्टि अशक्तता को उन्नत अल्प दृष्टि उपकरण तथा यंत्रों की मदद से 40% के बेंचमार्क के स्तर से कम तक नीचे लाया जा सके। इसे नामित विशेष बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना है।	
		बधिर या सुनने में कठिनाई	40% से अधिक अशक्तता वाले उम्मीदवारों को पात्र माना जाएगा, बशर्त कि श्रवण बाधित को नामित विशेष बोर्ड द्वारा प्रमाणित सहायक उपकरणों की मदद से 40% के बेंचमार्क के स्तर से कम तक लाया जा सके। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार का स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर 60% से ज्यादा होना चाहिए।	
		चलने में असमर्थता , जिसमें प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ रोग ठीक हो गया, बौनापन, एसिड हमले से पाड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी	पीडबल्यूडी श्रेणी के लिए 40-80% अशक्तता वाले उम्मीदवार पात्र हैं। 80% से अधिक अशक्तता से प्रभावित उम्मीदवारों को केस दर केस आधार पर अनुमति दी जाती है। ऐसा तभी होता है जब सहायक यंत्रों की सहायता से कार्यात्मक क्षमता में सुधार होता है अथवा अन्य शब्दों में, अशक्तता को आवश्यक कार्य करने के लिए जो विशेष नामित बोर्ड द्वारा प्रमाणित हो यथापेक्षित 80% से नीचे लाया जा सके। कुष्ठ उपचारित व्यक्तियों के मामले में, हाथ एवं अंगुलियों में संवेदना खो जाने पर ध्यान देना चाहिए, अंगच्छेदन तथा आँखो के शामिल होने तथा इसी प्रकार की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रमस्तष्कीय पक्षाघात के मामले में, द्दष्टि की हानि, श्रवण, संज्ञानात्मक कार्य आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसी प्रकार की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।	
		ऑटिज्म, बौद्धिक अशक्तता, विशिष्ट सीखने की अशक्तता और मानसिक बीमारी	<u>बौद्धिक अशक्तता:</u> ऑटिज्म- मानसिक बीमारी की उपस्थिति और सीमा जानने के लिए वस्तुनिष्ठ तरीका न होने के कारण वर्तमान में इसकी सिफारिश नहीं की जाती है। विशिष्ट सीखने की अशक्तता: 40% अशक्तता के बराबर	

			या इससे अधिक या 80% के बराबर या इससे कम पात्र होंगे। लेकिन चयन, विशेषज्ञ पैनल द्वारा उपचारी (रीमेडिएशन)/ सहायक प्रौद्योगिकी/सहायक यंत्र/ अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से मूल्यांकित सीखने की क्षमता पर आधारित होगा। [वर्तमान में, विशिष्ट सीखने की अशक्तता की गंभीरता का मूल्यांकन करने के लिए कोई परिमाणात्मक मापदंड उपलब्ध नहीं हैं। अत:, 40% का कट ऑफ मनमाना है तथा और अधिक साक्ष्यों की जरूरत है। मानसिक बीमारी मानसिक बीमारी की उपस्थिति और सीमा जानने के लिए वस्तुनिष्ठ तरीका न होने के कारण वर्तमान में इसकी सिपारिश नहीं की जाती है, तथापि, अशक्तता मूल्यांकन के बेहतर तरीके विकसित करके आरक्षण / कोटा के लाभ पर भविष्य में विचार किया जा सकता है।	
		खंड (क) से (घ) तक, जिसमें हर अशक्तता के लिए पहचान किए गए पदों में बधिर, अंधापन समेत व्यक्तियों के अंदर विभिन्न अशक्तताएं।	अलग-अलग मामलों की सिफारिश करने का निर्णय लेते हुए उपर्युक्त सभी पर विचार करना चाहिए। इसमें उपर्युक्त में से किसी की भी उपस्थिति के संबंध में अर्थात् दृष्टि, श्रवण, बौद्धिक अशक्तता और विशिष्ट सीखने की अशक्तता को विभिन्न अशक्तताओं का घटक माना जाएगा। भारत सरकार द्वारा जारी संबंद्ध गजट अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कंबाइनिंग फॉर्मूला। a+[b(90-a)/90] (जहाँ पर a= अशक्तता % का उच्च मान तथा b= अशक्तता % का कम मान जैसा कि विभिन्न अशक्तताओं के लिए गणना की गई है।) जब किसी व्यक्ति के अंदर एक से अधिक अशक्तताएं मौजूद हों, तो उनसे पैदा होने वाली अशक्तता का आकलन करने के लिए सिफारिश की जाती है। इस फॉर्मूले को विभिन्न अशक्तताओं वाले मामले में प्रयोग किया जा सकता है, तथा प्रवेश तथा/ या आरक्षण के बारे में सिफारिशें किसी व्यक्ति में मौजूद विशिष्ट अशक्तताओं के अनुसार की जाती हैं।	
4.	डीएमसी में जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रुप II	(1) दृष्टिबाधा या कम दृष्टि (2) श्रवण बाधित या ऊंचा सुनना (3) सेरेब्रल पाल्सी, उपचारित कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और मसक्यूलर डिसट्रोफी सहित लोकोमोटर विकलांगता (4) श्रवण बाधित - दृष्टि बाधित सहित खंड (क) से (घ) के अंतर्गत लोगों के बीच विविध अक्षमताएं	एलवी (सहायता और उपकरणों के साथ) एचएच (सहायता और उपकरणों के साथ) ठीक हुए कुष्ठरोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों के साथ ओएच (ओए, ओएल और बीएल) ठीक हुए कुष्ठरोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों के साथ एलडी - ओएच (ओए, ओएल और बीएल), एलवी (सहायता और उपकरणों के साथ), एचएच (सहायता और उपकरणों के साथ)	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, एच एस- बैठना, एसटी- खड़े होना, बीएन - झुकना, डब्ल्यू - चलना, एसई - देखना, एमएफ - उंगलियों द्वारा जोड़-तोड़ (मैनुप्यूलेशन), सी - संचार, आरडब्ल्यू - पढ़ना और लिखना, एच-सुनना

5ण	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी, ग्रुप II	लोकोमोटर विकलांगता	ओएल	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, एच एस- बैठना, एसटी- खड़े होना, बीएन - झुकना, डब्ल्यू - चलना, एसई - देखना, एमएफ - उंगलियों द्वारा जोड़-तोड़ (मैनुप्यूलेशन), सी - संचार, आरडब्ल्यू - पढ़ना और लिखना, एच-सुनना

परिशिष्ट– अप

परीक्षार्थी में लिखने की शारीरिक अक्षमता संबंधी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती .... ; बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार का नाम सुपुत्र श्री/सुपुत्री श्री .... निवासी.............................. ; गांव/जिला/राज्य जो .... ;विकलांगता प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित विकलांगता की प्रकृति और प्रतिशतता से ग्रस्त हैं, का परीक्षण किया है तथा मैं यह कथन करता हूं कि वह शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त है जो उसकी शारीरिक सीमाओं के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती हैं ।

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान

नोट : प्रमाण पत्रा संबंधित रोग/विकलांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए।;उदाहरण के लिए नेत्रहीनता–नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर विकलांगता–हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर

परिशिष्ट– अपप

अपने स्क्राइब की सुविधा लेने हेतु वचनबंध
उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन भरकर आयोग को भेजा जाए

मैं .... ; नाम, ... ; विकलांगता का नाम विकलांगता से ग्रस्त उम्मीदवार हूं तथा अनुक्रमांक .... के तहत .... ; राज्य का नाम, ... जिले के .... ;परीक्षा केन्द्र का नाम केन्द्र पर ....; परीक्षा का नाम की परीक्षा में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षिक योग्यता .... है।

मैं एतद्द्वारा यह कथन करता हूं कि उपर्युक्त परीक्षा देने के लिए श्री .... ; स्क्राइब का नाम अधोहस्ताक्षरी को स्क्राइब/रीडर/लैब असिस्टेंट की सेवा प्रदान करेंगे।

मैं एतद्द्वारा यह कथन करता हूं कि उसकी शैक्षिक योग्यता .... है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता अधेहस्ताक्षरी द्वारा घोषित किए अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अ**धिक** पाई जाती हैं तो मैं इस पद और तत्संबंधी दावों पर अधिकार से वंचित कर दिया जाऊंगा।

विकलांगता वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान :
तारीख :